भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2192

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस)

2192. श्री इटेला राजेंदर:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा है, यदि हां, तो संपूर्ण देश में 80 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को देश में किसी भी बैंक की, किसी भी शाखा से, कहीं भी अपनी पेंशन प्राप्त करने में सहायक होने वाली नई प्रणाली कब तक कार्यान्वित की जाएगी;

(ख) क्या सीपीपीएस पेंशनभोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगा और ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, अधिक सुदृढ़, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के लिए एक निर्बाध संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा/इसके क्या परिणाम मिले/इसमें किन कमियों का पता चला है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): जी हाँ, प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा।

दिनांक 29 और 30 अक्टूबर 2024 को पहला प्रायोगिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया और केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के माध्यम से जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। नवंबर माह 2024 में दूसरा प्रायोगिक परीक्षण 24 आरओ में आयोजित किया गया और सीपीपीएस के माध्यम से लगभग 9.3 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित की गई। सीपीपीएस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के कार्य को वर्ष 2025 की शुरुआत में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

जारी....2/-

सीपीपीएस एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने वाला एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जो पूरे भारत में किसी भी बैंक की, किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन संवितरण को सक्षम बनाता है।अब पेंशनभोगियों के पास मौजूदा आरओ आधारित विकेन्द्रीकृत पेंशन संवितरण में कुछ बैंकों के सीमित विकल्प के बजाय भारत में कहीं भी किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होगा।

सीपीपीएस प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए या अपना बैंक या शाखा बदले।

****